

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन, जिला करौली

गु. नं. 120/2011

तारीख रजु 25.10.2011

## उनवान

श्री दिगम्बर जैन मुमुक्षु महिला आश्रम (कृष्णा वाई आश्रम) श्री महावीरजी जारिये अध्यक्ष  
श्रीचन्द जैन पुत्र जयचन्द जैन जाति जैन निवासी श्रीमहावीरजी तह. हिण्डौन जिला करौली  
- सायल

### बनाव


- |                         |   |   |   |  |
|-------------------------|---|---|---|--|
| 1. निरन्जन पुत्र पुखराज | } | जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर श्रीमहावीरजी<br>तहसील हिण्डौन जिला करौली |   |  |
| 2. राहुल पत्र हंसराज    |   |   |   |  |
| 3. हंसराम पुत्र पुखराज  |   |   |   |  |
| 4. जानकी                | } | पुत्रीगण लोहडे  | } | जातियान गुर्जर निवासी अकबरपुर श्रीमहावीरजी<br>तहसील हिण्डौन जिला करौली |
| 5. कज्जादेवी            |   |   |   |  |
| 6. जीतराम               | } | पिरारान लोहडे   |   |  |
| 7. बल्ला                |   |   |   |  |

- गैरसायलान

## प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

19.07.2019 पत्रावली पेश हुई सायल व सायल वकील उपस्थित नहीं है। वकील गैरसायल उपस्थित है। वकील गैरसायल ने बताया गया है कि सायल श्रीचन्द जैन भी फोट होना जाहिर किया है। मोतविरान अभिभापकगणो ने अवगत कराया गया है कि सायल वकील श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा काफी अर्सा पूर्व फोट हो गये है। बार-बार रुक-रुक कर सायल को आवाज दिलाई गई किन्तु सायल की ओर से ना तो कोई अभिभापक उपस्थित आया है ना ही सायल की ओर से कोई उपस्थित आया है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया की वकील गैरसायल द्वारा अपने जवाब प्रार्थनापत्र में किसी प्रकार का प्रतिप्रार्थनापत्र (काउण्टर क्लेम) नहीं चाहा गया है। जब सायल की ओर से कोई भी पैरवी नहीं कर रहा है एवं गैरसायल द्वारा कोई काउण्टर क्लेम नहीं चाया है तो इस प्रकरण को आगे चलाया जाना उचित नहीं है।

अतः सायल का प्रार्थनापत्र धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो ।

  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन